आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह। (Email id-dccourt.grd@gmail.com) दाखिल–खारिज रिवीजन सं0–06/2021 कुणाल किशोर वगै0–बनाम–सच्चिदानन्द प्रसाद वगै0	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तिथि सहित
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
07.02.25	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। प्रस्तुत **दाखिल–खारिज रिवीजन सं0 06/2021** भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया के न्यायालय में निष्पादित दाखिल–खारिज अपीलवाद सं0 02/2020–21 सच्चिदानन्द प्रसाद वगैरह बनाम कुणाल किशोर वगैरह में दिनांक 04.08.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस पुनरीक्षण वाद को सुनवाई हेतु दिनांक 26.11.2021 को स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न तिथियों में सुनवाई की गई। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, सरकारी अधिवक्ता का अभिकथन, अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज, निम्न न्यायालय अभिलेख एवं आदेश के अवलोकन तथा परीशीलन के उपरांत निम्न तथ्य परिलक्षित होता है:– 1. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया के न्यायालय में निष्पादित दाखिल–खारिज अपीलवाद सं0 02/2020–21 सच्चिदानन्द प्रसाद वगैरह बनाम कुणाल किशोर वगैरह में दिनांक 04.08.2021 को पारित आदेश में वर्णित है कि प्रोवेट वाद के Form No.(J) 36 में जिला जज द्वारा वसीयत को स्वीकृत करते हुए आदेश पारित किया गया जिसका अनुपालन कुणाल किशोर वगै0 के पूर्वजों द्वारा नहीं किया गया और न ही वसीयत में धारित सम्पत्ति का विवरण है। इस न्यायालय में भी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के कम में प्रोवेट केस का उल्लेख ही किया गया, परन्तु पर्याप्त समय देने के बाद भी उनके द्वारा उसकी प्रति दायर नहीं की गई एवं इसके संबंध में अग्रेतर तर्क–वितर्क नहीं दिया गया। 2. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया के न्यायालय में निष्पादित दाखिल–खारिज अपीलवाद सं0 02/2020–21 सच्चिदानन्द प्रसाद वगैरह बनाम कुणाल किशोर वगैरह में दिनांक 04.08.2021 को पारित आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि–प्रथम पक्ष के द्वारा घरेलू बँटवारा का पंचनामा दाखिल किया गया है। इसमें स्व0 लक्ष्मण प्रसाद के दसों पुत्रों का हस्ताक्षर बना हुआ है। इसके अनुसार स्व0 लक्ष्मण प्रसाद की सम्पत्ति का बँटवारा किया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा दो निबंधित विक्रय पत्र सं0 8543	

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 08.07.2011 एवं विक्रय पत्र सं0 10034 दिनांक 27.08.2011 दाखिल किया गया है। विक्रय पत्र का निष्पादन विक्रेता के रूप में द्वितीय पक्ष के कुणाल किशोर के द्वारा किया गया है। इस विक्रय पत्र को उक्त बँटवारानामा के आधार पर सम्पादित किया गया है। स्पष्टया द्वितीय पक्ष वसीयत के इत्तर बँटवारा पंचनामा को अमल में लाये हैं।

इस न्यायालय में भी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के क्रम में कोई ऐसा साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो की अपीलार्थी या उनके पूर्वज द्वारा बँटवारा पंचनामा के विरुद्ध कोई असहमती या आपत्ति दर्ज की गई हो।

3. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया के न्यायालय में निष्पादित दाखिल–खारिज अपीलवाद सं0 02/2020–21 सच्चिदानन्द प्रसाद वगैरह बनाम कुणाल किशोर वगैरह में दिनांक 04.08.2021 को पारित आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Municipal Corporation, Aurangabad Vs State of Maharashtra & others (2016) में पारित न्यायादेश का उल्लेख है जो निम्नवत है:–

"It is settled law that mutation does not confer any right and title in favour of any one or other, nor cancellation of mutation extinguishes the right and title of the rightful owner. Normally, the mutation is recorded on the basis of the possession of the land for the purposes of collecting revenue."

''स्पष्टतया नामांतरण दखल–कब्जा के आधार पर किया जाता है। प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल–कब्जा सम्पुष्ट होता है।''

सरकारी अधिवक्ता के कथनानुसार मूलतः भूमि पर दखल ही दाखिल–खारिज का आधार होता है, इस प्रकार भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया द्वारा लिया गया निर्णय उचित है।

उक्त के आलोक मे भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया के न्यायालय में निष्पादित दाखिल–खारिज अपीलवाद सं0 02/2020–21 सच्चिदानन्द प्रसाद वगैरह बनाम कुणाल किशोर वगैरह में दिनांक 04.08.2021 को पारित आदेश उचित एवं विधि सम्मत् प्रतित होता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया के न्यायालय में निष्पादित दाखिल–खारिज अपीलवाद सं0 02/2020–21 सच्चिदानन्द प्रसाद वगैरह बनाम कुणाल किशोर वगैरह में दिनांक 04.08.2021 को पारित आदेश से संतुष्ट होते हुए,

Scanned with OKEN Scanner

Revisionist के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आवेदक सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध करायी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

07/02/25
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

07/02/25
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक 234 / दिनांक 07/02/25

<u>प्रतिलिपिः–</u> भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगोदर–सरिया एवं अंचल अधिकारी, बगोदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/25
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

07/02/25
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by Naman Priyesh Lakra
Date: 2025.02.13 19:10:39 +05:30
Location: 192.168.0.123

Scanned with OKEN Scanner